बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक – 6/वि02 –108/16 440(म्या0) दिनांक- 30/1/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व।

विषय :– **वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्व पेयजल की व्यवस्था मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के वाटर ए0 टी0 एम0 के द्वारा करने हेतु केन्द्रांश मद से रू0 34.16240 लाख (चौंतीस लाख सोलह हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (Flexi Fund) अंतर्गत** वर्ष 2016–17 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्व पेयजल की व्यवस्था मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के साथ वाटर ए0 टी0 एम0 लगाने एवं इसके तीन वर्ष तक परिचालन एवं रख–रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक– 6/वि02–108/2016, 2969 दिनांक– 27.10.16 एवं शुद्वि पत्र का पत्रांक – 485, दिनांक– 03.03.17 के द्वारा कुल रू0 757.15 लाख (सात करोड़ संतावन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/आपदा एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था 15 अदद मोबाईल वैन पर अधिष्ठापित प्यूरिफिकेशन यूनिट के साथ वाटर ए0 टी0 एम0 लगाने हेत **लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल,पटना पूर्व** को रु0 34.16240 लाख (चौंतीस लाख सोलह हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के **प्रोग्राम फण्ड** के अंतर्गत संधारित **बैंक खाते** के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. . बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत **प्रोग्राम फण्ड** के **बैंक खाते** के माध्यम से उक्त विमुक्त राशि से स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाए।

5. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यो के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन

Sd/- 29.1.2018

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचि

ज्ञापांक– 6/वि02 –108/16 440 (मो0) पटना, दिनांक– 30/1/2018

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रक्षेत्र– पटना एवं **अधीक्षण** अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता **मिशन को** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के **प्रोग्राम फण्ड के** अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक **स्वास्थ्य** प्रमंडल, **पटना पूर्व** को उक्त राशि बैंक खाते के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता (मो0) को दो प्रतियों सहित /कार्यपालक अभियंता (मो0)– 2 /सहायक अभियंता (मो0)/प्रभारी, डाटा सेन्टर/प्रशाखा पदाधिकारी– 6/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ कार्यवाह सहायक प्रशाखा – 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो0 स्वा0 अभि0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5. प्रतिलिपि– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(दिनेश्वर प्र0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव